

मुख्यमंत्री  
मुख्यमंत्री

मित्रांक-21.8.2015

नगरीय ज़िला शिक्षा अधिकारी (आधिकारिक शिक्षा) हनुमानगढ़ राजस्थान  
प्राप्ति-शिक्षा / एम्बु / प्रभा / मानवा / 2012 / 724

प्रधानमंत्री

हावड़ा शिक्षालय दृष्टि भवन

लिखा:- निशुल्क और अनिवार्य शास्त्र शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-19  
के प्रतीक्षा की लिए निशुल्क और अनिवार्य शास्त्र शिक्षा का अधिकार नियम 2010  
की विधय ॥ ये प्रत्येक (4)की अधीन शिक्षालय का अध्यक्ष द्वारा दृष्टि ।

प्रत्याप्त अधिनियम 12.5.2012 के आधेन और हम संघर्ष में विधालय की साथ उत्तराधीन  
दिनांक 25.6.2012 से दिनांक 21.8.2015 तक हीन वर्ष की अदायी हो सिये कक्षा प्राथमिक से छठा वीची तक ते  
री अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की संसूचना देता है । उपरोक्त संक्षेपी विभागित गती को नून किए जाने  
र्हे अस्वीकृत है ।

1. मानवा की संसूची विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी स्तर में कक्षा 8 के प्रश्नात मानवा/संबंध से लिए  
र्ही शब्दों का विवरण नहीं है ।
2. विधालय विश्वविद्यालय अनिवार्य शास्त्र शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(अमान्य) 1)और निशुल्क और अनिवार्य  
विधालय कक्षा 1 से उस कक्षा की संख्या 25 प्रतिशत तक असं पढ़ीज के कम्बोज की और  
अंतिम शूलक के शब्दों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उत्तराधीन का  
उपलब्ध करायेगा ।

प्रत्याप्त विभिन्न शास्त्रों के लिए, विधालय लो अधिनियम की धारा-12(2)के अन्तर्गत वर्षों के अनुसार प्रतिवर्ष विधा  
लय विश्वविद्यालय प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृष्ठल देक खाता रहेगा ।

प्रत्याप्त को किसी शक्तिवाचक प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा ।

विधालय किसी शास्त्र को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा । बाई-JAIPUR  
सा एवं जनरेशन शम्भु जाति या हमें किसी एक उपलब्ध/विभागित अध्यार पर उत्तराधीन शास्त्र  
का ।

विधालय सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) प्रवेश दिए गए किसी भी शास्त्र को विधालय ने उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक  
किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया  
जायेगा ।
- (2) किसी भी शास्त्र को शारीरिक दृष्टि या मानसिक उत्तीर्ण करने की  
जाईगा ।
- (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी शास्त्र से छोटे होई परीक्षा उत्तीर्ण करने की  
अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक शास्त्र को नियम-23 के अधीन अधिकारित किए  
अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।

अधिनियम के उपर्योग के अनुसार निःशक्ता घृत/विषेष आवधकता वाले विधार्थीयों का

विधायकों की भर्ती अधिनियम की अधारा 23(1)के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम  
अहेताओं के साथ ही जाती है परन्तु और यह कि विधमान अध्यापक विभिन्न विषेष इस  
अधिनियम के ग्राम पर मूलतम अहेताएं नहीं हैं पाथ एवं जीवनी निम्नरै इसी विधालय ।

